168
संख्या /लोनि–1/04–749(लोनिवि) /2001

सेवामें,

टी0 के0 पन्त,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 17 फरवरी ,2004

विषयः–देहरादून में रिंग रोड़ के रेडियल रोड निरंजनपुर मोड से शिमला रोड़ सहारनपुर रोड तक मार्ग निर्माण के अन्तर्गत विघुत पोल/लाईन शिफ्ट करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5894/127याता–उत्तरांचल/2003 दिनांक 24–12–2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सख्या–1426/लोनि–1/02–749(पीडब्लूडी)/01 दिनांक 14–3–2002 द्वारा प्रश्नगत कार्य की मूल स्वीकृति रूपये 257.65 लाख की प्रदान की गई थी,उपरोक्त के सापेक्ष विघुत पोल/लाईन शिफ्ट करने हेतु वांछित अतिरिक्त धनराशि रूपये 21.17 लाख के शासन को उपलब्ध कराये गये आगणन के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई रूपये11.53 लाख (रूपये ग्यारह लाख तिरेपन हजार मात्र)की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत कार्य हेतु रूपये 0.50 लाख (रूपये पच्चास हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1 व्यय करते समय बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका,स्टोर पर्चेज रूल्स,टैण्डर/कुटेशन एवं अन्य तदविषयक नियमों का अनुपालन किया जायेगा ।

2 आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है,अथवा बाजार भाव से ली गई हो,की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3 कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जायं ।

4 कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय,जितना कि स्वीकृत किया जा रहा है ।स्वीकृत लागत से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5 एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6 कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य रखते हुये लोक निर्माण विभाग से प्रचलित नियमों/दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन कराना सुनिश्चित करें ।

7 कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायं ।

8 आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है,उसी मद पर व्यय किया जायं,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जायं ।

9 निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिग करा ली जाय,तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जायं ।

10 स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31–3–2004 तक करने के उपरान्त कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायं

11 कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

12 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–04 के अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक –5054 सडको तथा सेतुओं पर पूजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत–800 अन्य व्यय–03 राज्य सैक्टर–01 चालू निर्माण कार्य –24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा ।

13 यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अ0शा0 संख्या–2851/वित्त अनुभाग–3/2004 दिनाक 15–2–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव।

संख्या 168 (1)/लोनि–1/04 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार(लेखा प्रथम)उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून।
2 आयुक्त गढवाल मण्डल,पौडी ।
3 निजी सचिव,मा0 मुख्य मंत्री जी उत्तरांचल।
4 निजी सचिव,मा0 मंत्री जी लोक निर्माण विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5 मुख्य अभियन्ता,स्तर–2 लोक निर्माण विभाग,पौडी ।
6 जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
7 अधीक्षण अभियन्ता 24 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।
8 वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
9 लोक निर्माण अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0 के0 पन्त)
उप सचिव।